

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 722/2023

अनवान : -

1. श्रवण सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. उम्मेदसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. जसवन्त सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सुमेरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. करनेलसिंह पुत्र हरदमसिंह जाति सुथार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. जरनेलसिंह पुत्र हरदमसिंह जाति सुथार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. दलबारा सिंह पुत्र हरदमसिंह जाति सुथार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. प्रकाश सिंह पुत्र हरदमसिंह जाति सुथार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. विद्या देवी पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 08/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की पुरानी जददी खातेदार भूमि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के प0न0 117/50 मु0न0 450 के किला न0 1 ता 3 व 8, 9, 10/2, 11/2, 12/1, 13, 19/1, 20/2 व प0न0 117/42 मु0न0 486 के किला न0 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8 ता 9 व 12 ता 17 व प0न0 118/28 मु0न0 818 के किला न0 1/2, 2, 9, 10/2, 11/1, 12, 19, 20/2, 21/1, 22 प0न0 118/20 मु0न0 819 के किला न0 3 ता 9 व 12 ता 19 व 22 ता 25 व प0न0 118/21 मु0न0 829 के किला न0 2 ता 9 व प0न0 118/29 मु0न0 830 के किला न0 1/1 व 10/1 की कुल 14.2180 हैक्ट खातेदारी भूमि थी जो वादी बाद खरीद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का 460 हिस्सा तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 का 711 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था।

वर्तमान जमाबंदी रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स0 557/475 की कुल 14.207 हैक्ट हैक्ट भूमि में वादी का 20997/142180 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 3637/35545 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 15247/142180 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 3637/35545 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1547/142180 हिस्सा व वादी स0 2 का 527/7109 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 525/7109 हिस्सा, वादी स0 3 का 20997/142180 हिस्सा, वादी स0 4 का 5249/35545 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है ऑनलाईन जमाबंदी में पूर्व दर्ज जमाबंदी के अनुसार सही दर्ज हुआ जबकि नहर निकलने के पश्चात हिस्सा कम हो गया इसलिए नहर निकलने के पश्चात हिस्सा कम हो गया इसलिए जमाबंदी को दुरुस्त करवाकर मुताबिक कब्जा काश्त व हिस्सा के अनुसार नहर के मुआवजा लेने व अवाप्ति के पश्चात जो भूमि शेष रही उसी के अनुसार करवा पाने के अधिकारी है।



Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की खरीद शुदा भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प0न0 117/42 मु0न0 486 के किला न0 4/1, 5/1, 6/2, 7/1, 8 ता 9 व 12 ता 15/1 व 16, 17 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि व प0न0 117/50 मु0न0 485 के किला न0 1 ता 3 व 8, 9, 10/2, 11/2, 12/1, 13, 19/1, 20/2 की 2.4920 हैक्ट भूमि कुल 5.224 हैक्ट तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की शेष भूमि प0न0 118/28 मु0न0 818 के किला न0 1/2, 2, 9, 11/1, 12, 19, 20/2, 21/1, 22 प0न0 118/20 मु0न0 819 के किला न0 3 ता 9 व 12 ता 19 व 22 ता 25 व प0न0 118/21 मु0न0 829 के किला न0 2 ता 9 व प0न0 118/29 मु0न0 830 के किला न0 1/1 व 10/1 की कुल 8.994 हैक्ट भूमि प्राप्त हुई इसी अनुसार कब्जा काशत में चली आ रही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की खरीद शुदा भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प0न0 117/50 मु0न0 405 की व प0न0 117/42 मु0न0 486 की कुल 23 किला अर्थात् 460 हिस्सा भूमि खरीद की थी जिनकी खरीद शुदा भूमि में से गन्धेली साहवा लिफ्ट नहर निकाली जा चुकी है तथा नहर में आयी भूमि का मुआवजा भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने प्राप्त किया है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का केवल 5.213 हैक्ट भूमि अर्थात् 20 बिघा 12 बिस्वा अर्थात् 412 हिस्सा हि शेष है। किन्तु वाद भूमि शामिल खाता में होने के कारण उनका हिस्सा ज्यादा होने से वादीगण व प्रतिवादी स0 5 को अपूर्ण क्षति होगी इसलिए वादीगण व प्रतिवादी स0 5 अपने 711 हिस्सा पर अलग से काशत करते चले आ रहे हैं। इसी अनुसार खाता व लगान अल किया जावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भूमि उपस्थित नहीं अत एकपक्षीय कार्यवाह अमल मे लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 557/475 की कुल 14.2070 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. उम्मेद सिंह पुत्र रतनसिंह, विद्यादेवी पत्नी रतनसिंह बहिब 1/4 हि0, जसवन्तसिंह, श्रवणसिंह, सुमेरसिंह बहिब पि0 हनुमानसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन उम्मेदसिंह, विद्यादेवी हि. आईसीआईसीआई बैंक शाखा रावतसर जसवन्तसिंह, श्रवणसिंह, सुमेरसिंह हि. आरएमजीबी बैंक शाखा बिरकाली मूर्त — प0न0 118/20 मु0न0 819 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 4.807, 118/21 (829) 2 ता 9 की 1.645 हे., 118/28 (818) के किला न0 1/2, 2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/2, 22 की 2.277 हे., 118/29 (830) के किला न0 1/2, 10 की 0.265 कुल 8.994 हे. बारानी 1

Zahul
उपस्यण्ड अधिकारी
बोहर

2. कृपालसिंह, देवीसिंह, परमजीतसिंह, प्रेमसिंह पि. प्रकाशसिंह छिन्द्रपाल कौर, मनप्रीत कौर, रमनकोर पुत्रियां प्रकाशसिंह बलजीत कौर पत्नी प्रकाशसिंह बहिब 1/4 हि., जरनेलसिंह, दलबारासिंह, करनेलसिंह पि. हरदमसिंह बहिब 3/4 हि., जाति सुनार सा. देह खातेदार रहन जरनेलसिंह 1/4 हि., कृपालसिंह दौ 1/4 हि. पीएनबी शाखा थालड़का, दलबारासिंह हि0 आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त -117/42 (486) के किला न0 4/1, 4/3, 5/1, 6/2, 6/3, 7/1, 8, 9, 12 ता 14, 15/1, 16, 17 रकबा 2.720 हे. 117/50 (485) के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10/2, 11/2, 11/3, 12/1, 13, 19/1, 19/3, 20/2 रकबा 2.493 हे. कुल 5.213 हे. बा.1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 08/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 722/2023

अनवान : -

1. श्रवण सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. उम्मेदसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. जसवन्त सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सुमेरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. करनेलसिंह पुत्र हरदमसिंह जाति सुथार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. जरनेलसिंह पुत्र हरदमसिंह जाति सुथार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. दलबारा सिंह पुत्र हरदमसिंह जाति सुथार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. प्रकाश सिंह पुत्र हरदमसिंह जाति सुथार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. विद्या देवी पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 722 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 557/475 की कुल 14.2070 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. उम्मेद सिंह पुत्र रतनसिंह, विद्यादेवी पत्नी रतनसिंह बहिब 1/4 हि0, जसवन्तसिंह, श्रवणसिंह, सुमेरसिंह बहिब पि० हनुमानसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन उम्मेदसिंह, विद्यादेवी हि. आईसीआईसीआई बैंक शाखा रावतसर जसवन्तसिंह, श्रवणसिंह, सुमेरसिंह हि. आरएमजीबी बैंक शाखा बिरकाली मूर्त - प0न0 118/20 मु0न0 819 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 4.807, 118/21 (829) 2 ता 9 की 1.645 हे., 118/28 (818) के किला न0 1/2, 2, 9, 10/2, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/2, 22 की 2.277 हे., 118/29 (830) के किला न0 1/2, 10 की 0.265 कुल 8.994 हे. बारानी 1
2. कृपालसिंह, देवीसिंह, परमजीतसिंह, प्रेमसिंह पि. प्रकाशसिंह छिन्द्रपाल कौर, मनप्रीत कौर, रमनकौर पुत्रियां प्रकाशसिंह बलजीत कौर पत्नी प्रकाशसिंह बहिब 1/4 हि., जरनेलसिंह, दलबारासिंह, करनेलसिंह पि. हरदमसिंह बहिब 3/4 हि., जाति सुनार सा. देह खातेदार रहन जरनेलसिंह 1/4 हि0, कृपालसिंह वगै 1/4 हि0 पीएनबी शाखा थालड़का, दलबारासिंह हि0 आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त -117/42 (486) के किला न0 4/1, 4/3, 5/1, 6/2, 6/3, 7/1, 8, 9, 12 ता 14, 15/1, 16, 17 रकबा 2.720 हे. 117/50 (485) के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10/2, 11/2, 11/3, 12/1, 13, 19/1, 19/3, 20/2 रकबा 2.493 हे. कुल 5.213 हे. बा.1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक08/01/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर